रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247411
CG-DL-E-18072023-247411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945
No. 413] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक के खंड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पकग में,-

(i) उपनियम (4) के स्पष्टीकरण में, "इस खंड", शब्दों के स्थान पर, "इस उपनियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(5) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, पुनः अवस्थापन के अनुसरण में, मूल निधि में विनिधान प्रबंधक अस्तित्व द्वारा धारित शेयरों या यूनिटों या ब्याज के बदले में पारिणामिक निधि के निधि प्रबंधन अस्तित्व द्वारा प्राप्त कोई जंगम संपत्ति, जो पारिणामिक निधि के शेयर या यूनिटें या ब्याज हैं, अर्थात्:-

(i) उसी अस्तित्व(वों) या व्यक्ति(यों) द्वारा उसी अनुपात में धारित पारिणामिक निधि के निधि प्रबंधन अस्तित्व में 90 प्रतिशत से अन्यून शेयर या यूनिटें या ब्याज, जो उनके द्वारा मूल निधि के विनिधान प्रबंधन अस्तित्व में धारित है ; और

(ii) ऐसे अस्तित्व(वों) या व्यक्ति(यों) द्वारा धारित किए गए मूल निधि के विनिधान प्रबंधन अस्तित्व में कुल शेयरों या यूनिटों या ब्याज के 90 प्रतिशत से अन्यून ।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "पुनः अवस्थापन" "मूल निधि" और "पारिणामिक निधि" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में क्रमशः है ;

(ख) "निधि प्रबंधन अस्तित्व" पद का वही अर्थ होगा जो उसका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियमन 2 के उपखंड (त) में यथा उपबंधित है ; और

(ग) "विनिधान प्रबंधन अस्तित्व" से संबंधित अधिकारिता के विनियमन द्वारा विनियमित मूल निधि का निधि प्रबंधक अभिप्रेत है जिसमें मूल निधि अवस्थित है ।'

[अधिसूचना सं. 51/2023/फा. सं. 370142/22/2023-टीपीएल]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में क्रम संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ), तारीख 17 जुलाई, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2023

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by clause (XI) of the proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:─

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Income-tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 11UAC,

(i) in sub-rule (4), in the *Explanation*, for the words "this clause" the words "this sub- rule" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

'(5) any movable property, being shares or units or interest in the resultant fund received by the fund management entity of the resultant fund, in *lieu* of shares or units or interest held by the investment manager entity in the original fund, pursuant to the relocation, subject to the following conditions, namely:-

(i) not less than ninety per cent of shares or units or interest in the fund management entity of the resultant fund are held by the same entity(ies) or person(s) in the same proportion as held by them in the investment manager entity of the original fund; and

(ii) not less than ninety per cent of the aggregate of shares or units or interest in the investment manager entity of the original fund was held by such entity(ies) or person(s).

***Explanation*. —** For the purposes of this sub-rule, —

(a) the expressions "relocation", "original fund" and "resultant fund" shall have the meanings respectively assigned to them in the *Explanation* to clause (viiac) and clause (viiad) of section 47;

(b) "fund management entity" shall have the same meaning as provided in the sub-clause (p) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022; and

(c) "investment manager entity" means the fund manager of the original fund regulated by the respective regulation of the jurisdiction in which the original fund is located.'

[Notification No. 51/2023/ F. No. 370142/22/2023-TPL]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 514(E) dated 17th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.